न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 9/5/22

प्रकरण संख्या :– 138/22

खेमराज पुत्र चतरभुज जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. मदनलाल पुत्र बाबुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी देबीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. नाथुलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी देबीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. जमकुबाई पत्नि हीरालाल जाति प्रजापत उम्र वयस्क निवासी देबीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. गोपी पुत्र रूपा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांकः 9/5/22

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खेमराज पुत्र चतरभुज जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **ग्राम शंभुपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 251 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, आराजी संख्या 280 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.6026 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम ग्राम शंभुपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 251 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, आराजी संख्या 280 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.6026 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

आदेश सुनाया गया